**भारत सरकार**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**

**वाणिज्य मंत्रालय**

**कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण**

**(तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3 सीरी सांस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, खेल गांव के सामने, नई दिल्ली)**

**एफ. सं. पीएडी-2023-24-000091-(भाग-I)**

**दिनांक: 20.12.2024**

**विषय: एपीडा, नई दिल्ली में सलाहकार (एसपीएस-टीबीटी संबंधित मामले) (अनुबंध पर) की नियुक्ति**

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) , वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तहत स्वायत्त संगठन है, जिसे भारत से कृषि और प्रसंस्कृत कृषि खाद्य उत्पादों के संवर्धन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। एपीडा द्वारा कृषि व्यापार सुविधा में सक्रिय रूप से सहभागिता दर्ज की गई है तथा साथ ही एपीडा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कृषि उत्पादों के लिए बाजार अभिगमन में सुधार करने हेतु तत्पर भी है। इसके अंतर्गत सेनेटरी और फाइटो-सेनेटरी (एसपीएस), व्यापार में तकनीकी बाधाएं (टीबीटी) के मुद्दों को भी संबोधित करने की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान में बाजार तक पहुंच खराब हो रही है और निर्यात में बाधा आ रही है। इसलिए एपीडा एसपीएस और टीबीटी मामलों पर डोमेन ज्ञान और तकनीकी विशेषज्ञता वाले उच्च योग्यता प्राप्त पेशेवरों को नियुक्त करने हेतु इच्छुक है।

**2. नियुक्ति का प्रकार और अवधि:**

2.1 सलाहकार (एसपीएस-टीबीटी संबंधित मामले) स्तर पर नियुक्ति होगी।

2.2 पूर्णतः संविदा आधार पर नियुक्ति होगी।

2.3 नियुक्ति प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए होगी , जिसमें तीन सप्ताह की परिवीक्षा अवधि भी शामिल होगी, जिसे कार्य निष्पादन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

3. **योग्यता, अनुभव और रिक्तियां:** निम्नलिखित योग्यता और अनुभव वाले आवेदकों को सलाहकार (एसपीएस-टीबीटी संबंधित मामले) के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।

**3.1 रिक्तियां:**

एपीडा सलाहकार (01*) के पद पर एक उच्च प्रेरित और योग्य पेशेवर को नियुक्त करने हेतु इच्छुक है, जिसे एसपीएस और टीबीटी मुद्दों का विशेषज्ञ ज्ञान हो। चयनित उम्मीदवार अनुबंधित कर्मचारी होगा और उसे यथाशीघ्र कार्यभार ग्रहण करना होगा। उम्मीदवार को इस अधिसूचना के बिंदु 3.2 और 3.3 में सूचीबद्ध पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।

(* सक्षम प्राधिकारी आवश्यकतानुसार रिक्तियों की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है)

**3.2 सामान्य पात्रता मानदंड:**

उम्मीदवार भारतीय नागरिक हो तथा उन्हें बिन्दु 3.3 में निर्धारित पात्रता मानदण्डों को पूरा करना होगा।

उम्मीदवार के पास उत्कृष्ट विधिक/पेशेवर कौशल हो , साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून में रुचि और/या अनुभव हो और व्यापार में तकनीकी बाधाओं पर समझौते (टीबीटी समझौता) और सैनिटरी और फाइटो-सैनिटरी उपायों पर समझौते (एसपीएस समझौता) और संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता हो। उम्मीदवार के पास अंग्रेजी में लिखित और मौखिक संचार और प्रस्तुति कौशल भी मजबूत हो। उम्मीदवार को ठोस और कठोर तकनीकी विश्लेषण प्रदान करने में सक्षम हो , और उसके पास विशेष रूप से आवश्यक क्षेत्रों में मजबूत शोध, प्रारूपण और विश्लेषणात्मक कौशल भी हो। डब्ल्यूटीओ कानून और नीति में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को अधिक वरीयता दी जाएगी।

**3.3 योग्यता:**

| श्रेणी | पात्रता मानदंड |
|---|---|
| सलाहकार | • भर्ती के समय **आयु 45 वर्ष** से अधिक नहीं होनी चाहिए।<br>(आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को)<br><br>• **कृषि/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार/विदेशी व्यापार/कानून में स्नातकोत्तर डिग्री या कृषि व्यवसाय प्रबंधन/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार/विदेशी व्यापार में एमबीए हो।** |

| | |
|---|---|
| | • स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 60% (या जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है , वहाँ पॉइंट स्केल पर समकक्ष ग्रेड) के साथ लगातार उपयुक्त अकादमिक रिकॉर्ड हो।<br><br>• न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो , जिसमें से कम से कम 3 वर्ष डब्ल्यूटीओ/एसपीएस और टीबीटी में हो।<br><br>**वांछनीय:**<br><br>• अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नीति में किए गए शोध और अध्ययन , विशेष रूप से कृषि से संबंधित मुद्दों में डब्ल्यूटीओ/एसपीएस और टीबीटी उपायों के क्षेत्र में। |

3.4 अभ्यर्थी को केवल एक ही आवेदन जमा करना होगा। एक से अधिक आवेदन जमा करने पर आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3.5 केवल आवेदन जमा करने से आवेदक को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के किसी अधिकार की पुष्टि नहीं होगी।

3.6 आवेदन केवल निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत किया जाएगा।

3.7 सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक से किसी भी आवेदन/उम्मीदवारी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस संबंध में आवेदक से कोई पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

3.8 गलत घोषणा/झूठी जानकारी प्रस्तुत करने या कानून के विपरीत कोई अन्य कार्रवाई करने पर किसी भी स्तर पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

**4. पारिश्रमिक और वार्षिक वृद्धि**

पारिश्रमिक में सभी लागू कर शामिल होंगे और किसी अन्य सुविधा या भत्ते की अनुमति नहीं होगी। पद के लिए पारिश्रमिक की सीमा इस प्रकार है:

| पद | पारिश्रमिक प्रति माह (रु.) |
|---|---|
| सलाहकार (एसपीएस-टीबीटी संबंधित मामले) | 1,40,000/- रु. |

5. **टीए/डीए:** सलाहकार (एसपीएस-टीबीटी संबंधित मामले) को भारत में किसी भी स्थान की यात्रा करना अपेक्षित होगा। दौरे के दौरान, केंद्र सरकार के वेतन स्तर 10 पर अधिकारियों को टीए/डीए स्वीकार्य होगा।

6. **कार्य के घंटे और अवकाश:**

6.1 कार्य दिवसों के दौरान कार्य के घंटे सामान्यतः सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक होंगे, जिसमें बीच में आधे घंटे का लंच ब्रेक भी शामिल होगा। हालाँकि, कार्य की अत्यावश्यकताओं में, सलाहकार (एसपीएस-टीबीटी संबंधित मामले) को देर तक बैठने की आवश्यकता भी हो सकती है और उन्हें शनिवार/रविवार और अन्य अवकाश पर भी बुलाया जा सकता है।

6.2 सलाहकार (एसपीएस-टीबीटी संबंधित मामले) एक वर्ष की अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर नियंत्रण अधिकारी की पूर्व लिखित स्वीकृति के अधीन 20 दिनों के अवकाश के लिए पात्र होंगे। अनुपलब्ध अवकाश को अगले वर्ष में नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके अतिरिक्त, नियंत्रण अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ पारिश्रमिक के बिना एक महीने तक के अवकाश पर विचार किया जा सकता है।

हालाँकि, पेशेवर विकास, प्रशिक्षण आदि की आवश्यकता जैसे दुर्लभ और असाधारण मामलों में, आधिकारिक अत्यावश्यकताओं के अधीन, अध्यक्ष, एपीडा के अनुमोदन से इस शर्त में छूट दी जा सकती है।

6.3 उपरोक्त के अतिरिक्त, पत्र सं. S-360 17/03/20 15-SS-1 दिनांक 12 अप्रैल, 2017 के माध्यम से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अनुसार मातृत्व अवकाश के लिए महिला सलाहकार (एसपीएस-टीबीटी संबंधित मामले) पात्र होंगी।

7. **समाप्ति:**

7.1 विभाग द्वारा किसी भी समय 30 दिन का नोटिस देकर या उसके बदले भुगतान करके नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार, सलाहकार (एसपीएस-टीबीटी संबंधित मामले) भी समान अवधि के लिए नोटिस देने के बाद इस्तीफा दे सकते हैं।

7.2 सौंपे गए कार्य को करने में विफलता या आचरण के किसी भी मानक का पालन करने में विफलता की स्थिति में विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी सलाहकार (एसपीएस-टीबीटी संबंधित मामले) को निकालने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

## 8. सामान्य नियम एवं शर्तें:

8.1 एपीडा सलाहकार (एसपीएस-टीबीटी संबंधित मामले) को किसी भी कार्यालय में कार्य शुरू करने से पहले किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सक से अच्छे स्वास्थ्य का विवरण प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है।

8.2 सलाहकार (एसपीएस-टीबीटी संबंधित मामले) के रूप में नियुक्ति शैक्षिक योग्यता और अनुभव से संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन है। यदि सलाहकार (एसपीएस-टीबीटी संबंधित मामले) द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी/दस्तावेज किसी भी स्तर पर गलत/झूठी पाई जाती है, तो उसकी नियुक्ति तुरंत समाप्त कर दी जाएगी और उसके विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

8.3 सलाहकार (एसपीएस-टीबीटी संबंधित मामले) समय-समय पर संशोधित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 द्वारा अधिशासित होंगे और विभाग में सलाहकार (एसपीएस-टीबीटी संबंधित मामले) के रूप में उनकी नियुक्ति की अवधि के दौरान उनके ध्यान में आने वाली किसी भी जानकारी / डेटा को किसी भी अनधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) को प्रकट नहीं करेंगे। ऐसी सभी जानकारी/रिकॉर्ड/कागजात/सॉफ्टवेयर/ईमेल आदि एपीडा की संपत्ति होंगे।

8.4 सलाहकार (एसपीएस-टीबीटी संबंधित मामले) वाणिज्यिक लाभ के प्रयोजन से विज्ञापन या अन्यथा सार्वजनिक नहीं करेगा कि उसका एपीडा के साथ संविदात्मक संबंध है। वह किसी भी प्रकार से, एपीडा के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना, व्यवसाय के संबंध में या अन्यथा एपीडा के नाम , प्रतीक या आधिकारिक मुहर या एपीडा के नाम के किसी भी संक्षिप्त रूप का उपयोग नहीं करेगा।

8.5 सलाहकार (एसपीएस-टीबीटी संबंधित मामले) से एपीडा के नियमों और विनियमों के अनुसार उचित आचरण की अपेक्षा की जाएगी। उनसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उच्च नैतिक चरित्र, सत्यनिष्ठा, कार्यालय की गोपनीयता और कार्य के प्रति समर्पण प्रदर्शित करने की अपेक्षा की जाएगी। यदि उसकी सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई गईं या एपीडा के हितों के विपरीत पाई गईं, तो उसकी सेवाएं बिना किसी नोटिस अवधि या मुआवजे के तुरंत समाप्त कर दी जाएंगी।

8.6 सामान्य तौर पर, सलाहकार (एसपीएस-टीबीटी संबंधित मामले) अनुबंध के तहत अपने दायित्वों के कार्य- निष्पादन के संबंध में एपीडा के बाहर किसी भी प्राधिकारी से न तो निर्देश मांगेंगे और न ही किसी निर्देश को स्वीकार करेंगे। सलाहकार (एसपीएस-टीबीटी संबंधित मामले) अनुबंध के अपने कार्य- निष्पादन के संबंध में या अनुबंध के तहत अपने दायित्वों से संबंधित कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे जो एपीडा के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है , और सलाहकार (एसपीएस-टीबीटी संबंधित मामले) एपीडा के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का पालन करेंगे। सलाहकार (एसपीएस-टीबीटी संबंधित मामले) यह

वारंटी देंगे कि उन्होंने कोई भी प्रस्ताव नहीं दिया है और न ही देंगे। एपीडा के किसी भी प्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी या अन्य एजेंट को अनुबंध के कार्य निष्पादन या उसे प्राप्त करने से उत्पन्न या उससे संबंधित कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ नहीं दिया है और न ही देंगे। वह अनुबंध के तहत अपने दायित्वों के कार्य- निष्पादन से संबंधित सभी कानूनों, अध्यादेशों, नियमों और विनियमों का पालन करेंगे। अनुबंध के निष्पादन में , सलाहकार (एसपीएस-टीबीटी संबंधित मामले) आचरण के सामान्य मानकों का पालन करेंगे। इसका अनुपालन करने में विफलता सलाहकार (एसपीएस-टीबीटी संबंधित मामले) को बर्खास्त कर सकता है।

**8.7 यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार निषेध:** अनुबंध के निष्पादन में, सलाहकार (एसपीएस-टीबीटी संबंधित मामले) "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम , निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" का अनुपालन करेंगे। सलाहकार (एसपीएस-टीबीटी संबंधित मामले) स्वीकार करेंगे और इस बात से सहमत होंगे कि इसके किसी भी प्रावधान का उल्लंघन अनुबंध की आवश्यक शर्तों का उल्लंघन होगा , और, किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य कानूनी अधिकार या उपचार के अतिरिक्त, अनुबंध को समाप्त करेगा। इसके अतिरिक्त, आचरण के पूर्वगामी मानकों के किसी भी कथित उल्लंघन को उचित कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित राष्ट्रीय अधिकारियों को संदर्भित करने के एपीडा के अधिकार को सीमित नहीं करेगा।

8.8 एपीडा की सेवा के दौरान मृत्यु, चोट या बीमारी की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में , सलाहकार (एसपीएस-टीबीटी संबंधित मामले) या निकटतम रिश्तेदार किसी भी मुआवजे या नियुक्ति के हकदार नहीं होंगे।

8.9 सलाहकार (एसपीएस-टीबीटी संबंधित मामले) को अपने संबंधित पुलिस स्टेशन से एक पुलिस सत्यापन रिपोर्ट जमा करनी होगी और नियुक्ति से पहले किसी अधिकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा जारी मेडिकल-सह-फिटनेस प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा।

8.10 नियुक्ति की अवधि एपीडा में कार्य ग्रहण करने की तारीख से शुरू होगी।

8.11 सलाहकार (एसपीएस-टीबीटी संबंधित मामले) के रूप में नियुक्ति की अवधि बाद की तारीख में एपीडा या किसी अन्य सरकारी विभाग में नियुक्ति/रोजगार के लिए कोई दावा या अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

**9. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है:**

इच्छुक उम्मीदवार अपने स्कैन सीवी और संबंधित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ निर्धारित प्रारूप (प्रति संलग्न) में अपना हस्ताक्षरित और टाइप किया हुआ आवेदन जमा कर सकते हैं।

**10. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 03.01.2025 को शाम 06:00 बजे तक है।**

**टाइप किया हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन recruitment@apeda.gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजा जाए। आवेदित पद का उल्लेख करना अनिवार्य है।**

नोट: साक्षात्कार के लिए केवल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों से ईमेल के माध्यम से संपर्क किया जाएगा।

**सचिव**
**एपीडा**

**सलाहकार (एसपीएस-टीबीटी संबंधित मामले) पद के लिए आवेदन**
**(अनुबंध पर)**

सचिव
एपीडा
तीसरी मंजिल, 3 सीरी सांस्थानिक क्षेत्र
अगस्त क्रांति मार्ग
हौज़ खास,
नई दिल्ली – 110 016

**आवेदन करने हेतु पद: सलाहकार (एसपीएस-टीबीटी संबंधित मामले)**

**नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ चिपकाएँ**

1. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में): ______________________________

2. पिता/पति का नाम: ____________________________________

3. स्थायी पता: ______________________________________________________________

4. पत्राचार पता: ____________________________________________________________

5. संपर्क नं. और ईमेल-आईडी: _________________________

6. जन्मतिथि: ______________________________

   (आयु के प्रमाण की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

7. राष्ट्रीयता: ______________________________

8. शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यताएँ:

| विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम | उत्तीर्ण होने का वर्ष | स्ट्रीम/विषय | अंकों/सीजीपीए का % |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

9. प्रासंगिक क्षेत्रों में योग्यता पश्चात कार्य अनुभव:

| नियोक्ता का नाम और पता | सेवा अवधि (से-तक dd/mm/yy में) | कुल कार्यकाल (वर्षों और महीनों में) | पद | कार्य/जिम्मेदारियों की प्रकृति |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

(अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

10. प्रवीणता ज्ञात भाषाएँ: ________________________________________

11. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी: ______________________________

**उम्मीदवार के हस्ताक्षर**

दिनांक: ____________

स्थान:_____________

*किसी भी भ्रांति की स्थिति में अंग्रेजी को वरीयता दी जाएगी।